Rule 32: Determination of value in respect of certain supplies

- (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, the value in respect of supplies specified below shall, at the option of the supplier, be determined in the manner provided hereinafter.
- (2) The value of supply of services in relation to purchase or sale of foreign currency, including money changing, shall be determined by the supplier of services in the following manner, namely:-
 - (a) for a currency, when exchanged from, or to, Indian Rupees, the value shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate, as the case may be, and the Reserve Bank of India reference rate for that currency at that time, multiplied by the total units of currency:

Provided that in case where the Reserve Bank of India reference rate for a currency is not available, the value shall be one per cent. of the gross amount of Indian Rupees provided or received by the person changing the money:

Provided further that in case where neither of the currencies exchanged is Indian Rupees, the value shall be equal to one per cent. of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian Rupee on that day at the reference rate provided by the Reserve Bank of India.

Provided also that a person supplying the services may exercise the option to ascertain value in terms of clause (b) for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year.

- (b) at the option of supplier of services, the value in relation to supply of foreign currency, including money changing, shall be deemed to be—
 - (i) one per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount up to one lakh rupees, subject to a minimum amount of two hundred and fifty rupees;
 - (ii) one thousand rupees and half of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding one lakh rupees and up to ten lakh rupees; and
 - (iii) five thousand and five hundred rupees and one tenth of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding ten lakh rupees, subject to maximum amount of sixty thousand rupees.
- (3) The value of supply of services in relation to booking of tickets for travel by air provided by an air travel agent shall be deemed to be an

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

amount calculated at the rate of five per cent. of the basic fare in the case of domestic bookings, and at the rate of ten per cent. of the basic fare in the case of international bookings of passage for travel by air.

Explanation-For the purposes of this sub-rule, the expression "basic fare" means that part of the air fare on which commission is normally paid to the air travel agent by the airlines.

- (4) The value of supply of services in relation to life insurance business shall be,—
 - (a) the gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment, or savings on behalf of the policy holder, if such amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service;
 - (b) in case of single premium annuity policies other than (a), ten per cent. of single premium charged from the policy holder; or
 - (c) in all other cases, twenty five per cent. of the premium charged from the policy holder in the first year and twelve and a half per cent. of the premium charged from policy holder in subsequent years:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply where the entire premium paid by the policy holder is only towards the risk cover in life insurance.

- (5) Where a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods i.e., used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of the goods and where no input tax credit has been availed on purchase of such goods, the value of supply shall be the difference between the selling price and purchase price and where the value of such supply is negative, it shall be ignored:
 - **Provided that** the purchase value of goods repossessed from a defaulting borrower, who is not registered, for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by five percentage points for every quarter or part thereof, between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession.
- (6) The value of a token, or a voucher, or a coupon, or a stamp (other than postage stamp) which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both redeemable against such token, voucher, coupon, or stamp.
- (7) The value of taxable services provided by such class of service providers as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, as referred to in paragraph 2 of Schedule I of the said Act between

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

distinct persons as referred to in section 25, where input tax credit is available, shall be deemed to be NIL.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 32 : कतिपय प्रदाययों की बाबत मूल्य का अवधारण

- (1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट प्रदाययों की बाबत मूल्य प्रदायकर्ता के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा।
- (2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला—बदली भी है, सेवाओं की प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात :--
 - (क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रूपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा:

परन्तु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला—बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रूपए की रकम का एक प्रतिशत होगा:

परन्तु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत् के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रूपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला—बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगाः

परन्तु यह भी कि सेवाओं की प्रदाय करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

- (ख) सेवाओं के प्रदायकर्ता के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की प्रदाय के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला—बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा—
 - (i) दो सौ पचास रूपए की न्यूनतम रकम के अध्यधीन एक लाख रूपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत;
 - (ii) एक हजार रूपए और एक लाख रूपए से अधिक और दस लाख रूपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत; और
 - (iii) पांच हजार पांच सौ रूपए तथा छह हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रूपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत।
- (3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में, आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए ''आधार किराया'' से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है।

- (4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य निम्नलिखित होगा,—
 - (क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, होगा या पोलिसी धारक की ओर से बचत होगा, यदि ऐसी रकम की सचना सेवा की प्रदाय के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है;
 - (ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमीयम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत; या
 - (ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत:

परन्तु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय प्रदाय उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां प्रदाय का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी प्रदाय का मूल्य नकारात्मक है. तो उसे छोड़ दिया जाएगा:

परन्तु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए रिजस्ट्रीकृत नहीं है, पुनः कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुनः कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा।

- (6) किसी टोकन या वाउचर या कूपन या स्टांप (डाक स्टांप से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरूद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, वाउचर, कूपन या स्टांप के विरूद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा।
- (7) सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शुन्य समझा जाएगा।